

प्रपत्र-‘श’

अग्नि अंकेक्षण के चेक बिन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 की पारा-33 एवं 43 (2)(3) के आधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (ख)(ग)(घ)(ङ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पत्ता/पहचान हेतु कोई खास चिन्हित भवन :- एलिगेंट पब्लिक स्कूल कटारी हिल रोड, गया
2. भवन का निर्माण वर्ष :- 1983
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र(औपबंधिक/अंतिम/नवीनीकरण वर्ष) :- नहीं है
4. विगत अग्नि अंकेक्षण तिथि :- 06.05.2023
5. भवन अधिभोग का प्रकार :- विद्यालय
6. उप कब्जे(Sub-occupancy)के विद्यालय
7. जमाने के स्तर से भवन की उंचाई(मीटर में) :- 12 मी0
8. भवन के परिवेश में निर्माण की उंचाई :- 09 मी0
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी- 10मीटर
10. भवन का आच्छादित क्षेत्रफल(वर्ग मीटर में) :- 'A' 'B' 'C' तथा 'D' ब्लॉक का क्षेत्रफल-4320 वर्ग मीटर (तलघर और स्टील सहित सभी मजिलों का)
11. मंजिला की संख्या :- ब्लॉक 'A' एवं 'D' G+1, तथा ब्लॉक 'B' एवं 'C' = G+2
12. तलघर की संख्या :- नहीं है।
13. स्टील/भूतल की संख्या :- हैं।
14. ब्लॉक की संख्या:- चार हैं।
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार:- 850 व्यक्ति
16. मंजिलवार(क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या): G+= 300, G+1=300, G+2=250
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई)- कटारी हिल रोड 40 फीट (पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12फीट/20फीट होनी चाहिए,
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है?:- हों
19. क्या मृत अंत(Dead end) में समाप्त हो रहा है?:- नहींX
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैक की चौड़ाई :- पु0- 12फीट, द0=20 फीट उ020 फीट
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच:- तीन तरफ से वाहन के पहुँच
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं उचाई है?:- 12 फीट , ऊपर खुला है।
23. करा पाकिंग(स्थल एवं वाहन की संख्या):- हैं 05 वाहन
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन(भवन से चारों तरफ दूरी:- नहीं है
25. प्रवेश द्वार की संख्या:- दो
26. निकासी द्वार की संख्या :- दो
27. प्रवेश/निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान :- हों
28. आंतरिक सीढ़ी(संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/गर्दंतर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई)-एक, 3.5 फीट 2.5फीट
29. बाहरी सीढ़ी(संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/ राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई):- नहीं है।
30. यात्रा दूरी(सबसे दूर के स्थान से दूरी/ गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी)- 30 फीट
31. रैम्प(संख्या/चौड़ाई/स्टीप) :- नहीं है
32. गांजी लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं है
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
35. शरण क्षेत्र(किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) :- लागू नहीं है
36. फायर टॉवर(किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) :- लागू नहीं
37. वंद उध्वान खुला स्थान :- नहीं है।
38. कोरिडोर और मार्ग(वांछित चौड़ा के अनुसार/रास्ता बाधित नहीं) :- रास्ता बाधित नहीं है
39. क्षेत्रीय निकास की स्थिति :- नहीं है।

40. निकासी हेतु रौशनीकरण निकासी संकेत :- नहीं है।
41. तलघर में छत की दूरी/जाने का रास्ता/वेन्टिलेशन/इत्यादि :- नहीं है।
42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात :- नहीं है।
43. कम्पार्टमेन्टलाइजेशन :- है।
44. धुआँ निकासी व्यवस्था :- है।
45. विद्युत अधिष्ठापन :- है।
46. सब-स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर :- नीजी नहीं है।कककक
47. बिजली आपूर्ति के बैकल्पिक स्रोत : DG सेट 35 K.V.A
48. एयर कन्डीशनिंग सिस्टम :- नहीं है।
49. आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान :- नहीं है।
50. न्यूनतम फिक्सड फायर फायटिंग अधिष्ठापन(NBC-2016का भाग-4 के तालिका-7 के अनुसार) :-मानक से कम
51. स्वचालित जॉच और अलार्म सिस्टम (धूम संसूचक,हिट डिटेक्टर, अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल) :- नहीं है।
52. स्वचालित स्पिंकलर सिस्टम :- नहीं
53. नली रील :- नहीं है।
54. वेंट राईजर्स :- नहीं है।
55. सूखी राईजर्स :- नहीं है।
56. डाउन कमर :- नहीं है।
57. यार्ड हाईड्रेंट :- नहीं है।
58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक(संख्या/कुल क्षमता-लीटर) :- नहीं है।
59. छत टंक(संख्या/कुल क्षमता-लीटर):-ब्लाक Aपर1000ली0पक्का का, ब्लाकB,2500X2=5000 ली0,ब्लाक,C,2500X2=5000 ली0
60. पम्पों की विवरणी-इलेक्ट्रीक मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प /छिडकाव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/बुस्टर पम्प (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट) :- 2 H.P. समरसेबल
61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/मैंक/क्रमांक/एक्सप्लोसिव नं0/विनिर्माण वर्ष/खरोद का वर्ष/आईएस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि :-co2 type4.5kg क्षमता का 1 अदद ABC Type 4kg 8अदद कियाशील है।
62. अग्नि नियंत्रण कक्ष :- नहीं है।
63. फायर ड्रील और फायर ऑर्डर(भवन खली करने की आपातकालिन योजना सहित):- मॉक ड्रील किया गया
64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी :- नहीं
65. अन्य विदु-प्रपत्र-न/अ के आधार पर शामिल किया जा सकता है।

निर्देश/सुझाव दिया जाता है कि :-

1. प्रतिष्ठान में संस्थापित अग्निशामन यंत्रों/अग्नि सुरक्षा उपायों को कियाशील अवस्था में रखने की जिम्मेदारी प्रबंधक / संचालक की है।
 2. विद्युत भार की जॉच राक्षम प्राधिकार से समय-समय पर कराना आवश्यक है ताकि शार्ट सर्किट जैसी अग्नि दुर्घटना से बचा जा सके।
 3. अग्निशामन यंत्रों/अन्य व्यवस्थाओं को कियाशील रखने हेतु अर्धवार्षिक अग्नि मॉकड्रिल करेंगे।
 4. अन्य अग्नि सुरक्षा व्यवस्था NBC-IV (फायर एण्ड लाइट सेफ्टी) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
 5. अग्निशामन यंत्रों/अन्य व्यवस्थाओं की अंकेक्षण प्रत्येक वर्ष अघोहस्ताक्षरी से कराना सुनिश्चित करेंगे।
 6. ABC TYPE 6KG क्षमता का 4 अदद, CO2 TYPE 4.5 KG क्षमता का 4अदद तथा फायर बाल्टी 8 अदद स्टेड के साथ संस्थापित करना सुनिश्चित करें।
- नोट - दिनांक -05-2023 को दिये गये सुझाव के आलोक में उक्त प्रतिष्ठान के द्वारा अनुपालन करा लिया गया है।

(Handwritten Signature)
06.5.2023

अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी
सदर, गया